

देवनानी ने अजमेर शहर में जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा कर हालात जाने

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने प्रशासन को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए

अजमेर, (कासं)। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सोमवार को अजमेर शहर में जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि राहत कार्यों में तेजी लाई जाए।

जानकारी के अनुसार अजमेर में हुई भारी बरसात के बाद हुए जलभराव क्षेत्रों का एक बार फिर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जिला कलेक्टर लोकबन्धु सहित अफसरों के साथ दौरा कर हालात जाने। यहां मेडिकल कॉलेज सहित अन्य क्षेत्र में भरे पानी को निकालने के लिए मड पंप्स की संख्या बढ़ाने व आनासागर से हो रही पानी निकासी के दौरान बाधित हो रहे मार्ग की पुलिया की ऊंचाई बढ़ाने के निर्देश भी दिए।

विधानसभा अध्यक्ष देवनानी पहले जेएलएन मेडिकल कॉलेज पहुंचे और यहां भरे पानी को निकालने के लिए मड पम्प बढ़ाने के निर्देश दिए। देवनानी ने यहां पर मेडिकल कॉलेज



वासुदेव देवनानी ने अजमेर शहर में जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया।

में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जर्जर सीढ़ियों को हटाया जाए। इसके बाद

सूचना केन्द्र चौराहे के पास आगरा गेट की तरफ आनासागर पानी निकासी के कारण रोके गए मार्ग का अवलोकन

किया और निर्देश दिए कि केसरबाग चौकी के पास पुलिया व पहचान शुरूम की पुलिया को ऊंचा किया

- मेडिकल कॉलेज सहित अन्य क्षेत्र में भरे पानी को निकालने के लिए मड पंप्स की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए

- देवनानी ने सूचना केन्द्र चौराहे के पास आगरा गेट की तरफ आनासागर पानी निकासी के कारण रोके गए मार्ग का अवलोकन किया

जाए। इस दौरान नगर निगम आयुक्त देशलदान, अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेन्द्र सिंह राठौड़, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉ. अनिल सामरिया, अधीक्षक डॉ. अरविंद खुरे सहित अन्य अफसर भी मौजूद रहे।

जवाई बांध का गेज 31.30 फीट पहुंचा



पाली में सोमवार को भी कई जगह पर पानी भरा हुआ है।

पाली, (निसं)। पहले सोमवार को झमाझम दूसरे सोमवार को जिले में कहीं-कहीं बारिश हुई। हालांकि मानसून कमजोर पड़ गया है, लेकिन अभी तक नदियां चल रही हैं, जिसके कारण पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध का गेज सोमवार को 31.30 फीट

पहुंच गया। बांध की भराव क्षमता 61.30 फीट है। वहीं पाली के निकट हेमावास बांध 26 फीट तक पहुंच गया है, 28 फीट होते ही बांध ओवरफ्लो हो जाएगा। लाखोटिया तालाब की चादर पिछले 5-6 दिन से लगातार चलने से यहां

की निचली बस्ती आशापुरा नगर, रामदेव रोड, विकास नगर सहित बस्तियों में अभी भी दो फीट पानी भरा हुआ है। लोग पानी में से होकर गुजर रहे हैं। मौसम विभाग अनुसार आगामी 27-28 जुलाई को फिर से मानसून सक्रिय होगा।

गड्ढे में गिरने से मासूम बालिका की मौत

बाँली-बामनवास, (निसं)। क्षेत्र के बाटोदा थाना अंतर्गत सुंदरी गांव में एक दो वर्षीय बालिका खेलते हुए पानी के गड्ढे में गिर गई, इससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सुंदरी गांव के ग्रामीणों व परिजनों ने बताया कि दो वर्षीय अंशु मीना पुत्री मुनेश घर के बाहर आंगन में खेल रही थी। इसी दौरान खेलते-खेलते वह घर के बाहर स्थित पानी के गड्ढे के पास चली गई एवं डूब गई। बालिका के आंगन में नहीं मिलने पर परिजनों ने उसे तलाश किया तो बालिका घर के बाहर पानी के गड्ढे में डूबती नजर आई। परिजन



बालिका को पानी से बाहर निकालकर बरनाला चिकित्सालय ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

बाँसवाड़ा सहकारी उपभोक्ता थोक भण्डार लि., बाँसवाड़ा
उदयपुर मेन रोड केन्द्रीय विद्यालय के पास, बाँसवाड़ा-327001 (राजस्थान)
क्रमांक :- ०५५/25-26/347 दिनांक :- 14/07/2025

संशोधित ई-निविदा सूचना वर्ष 2025-26
बाँसवाड़ा सहकारी उपभोक्ता थोक भण्डार लि. बाँसवाड़ा अर्न्तगत Supply Of High Quality Grocery Items हेतु इच्छुक बोलीदाताओं से दिनांक 14.07.2025 को प्रातः 11 बजे तक ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसे अपरिहार्य कारणों से दिनांक 24.07.2025 को प्रातः 11 बजे तक बढ़ाया जाता है, निविदा में वर्णित कार्य से सम्बन्धित विवरण व अन्य शर्तें वेबसाईट <http://eproc.raajasthan.gov.in> एवं <http://sppp.raajasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है। उपायन हेतु NIB Code- CMF2525A0053, UBN No.CMF2526GLOB0076 है।
राज.संवाद/सी/25/6504 महाप्रबन्धक

Office Of Superintending Engineer PHED Circle Jhalawar (Rajasthan)
NOTICE INVITING Bid No. 19/2025-26 Item No. 1 and 2
Bids for Annual Rate Contract for Providing, Laying, Jointing, testing and commissioning of pipe line & allied works at various schemes under jurisdiction of Division Jhalawar & Bhawani Mandi, 18.00 Hours. Other DISTT. JHALAWAR are invited from interested bidders upto 30.07.2025, particulars of the bid may be visited on the www.dipr.raajasthan.gov.in, <http://rajwater.gov.in>, <http://sppp.raajasthan.gov.in> and <http://eproc.raajasthan.gov.in>. Departmental websites. NIB No. PHE2526A2259 UBN No. PHE2526WSOB04579, PHE2526WSOB04580

Superintending Engineer PHED Circle Jhalawar

DIPR/C/10015/2025

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड मालपुरा
क्रमांक-710 दिनांक-14.07.2025

निविदा सूचना संख्या- 12/2025-26 खण्ड मालपुरा
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से खण्ड मालपुरा में सड़क/भवन निर्माण हेतु उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राउज सरकार के अन्य विभागों तथा केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/ढाक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के "ए" व "एच", "बी", "सी", "डी" श्रेणी के संवेदकों के सम्पत्ति हो, से कार्यों हेतु ई-टेंडरिंग के माध्यम से निष्पत्ति प्रपत्र व प्राव की जावेगी। निविदा से संबंधित विवरण वेबसाइट साइट www.dipronline.org व www.eproc.raajasthan.gov.in एवं www.sppp.raajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
NIB CODE: PWD2526A1958 (1) PWD2526SLRC07006, (2) PWD2526SLRC07007, (3) PWD2526SLRC07008

Office Of Superintending Engineer, PHED Circle Jhalawar (Rajasthan)
NOTICE INVITING Bid No. 18/2025-26 Item No. 1-A to 1-C
Bids for Annual Rate contract for Construction & commissioning of 200 mm dia tube wells with submersible pump sets etc. complete work in all types of strata & laying, jointing, testing, commissioning of HDPE pipe line including defect liability period of PANCHAYAT SAMITI AKLERA, MANOHARTHANA, JHALARAPATAN, KHANPUR, BAKANI, BHAWANI MANDI, DAG & PIRAEA of PHED Division Jhalawar/ Bhawani Mandi, District Jhalawar (With Material Contract) are invited from interested bidders upto 28.07.2025 at 18.00 Hours. Other particulars of the bid may be visited on the <http://sppp.raajasthan.gov.in> and <http://rajwater.gov.in>. Departmental websites. NIB No. PHE 2526A254 UBN No. PHE2526WSOB04559, PHE2526WSOB04560, PHE 2526WSOB04561

Superintending Engineer PHED Circle Jhalawar

DIPR/C/9964/2025

विद्यालय में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की मांग, धरना पांचवें दिन भी जारी

राजलदेसर, (निसं)। राजलदेसर तहसील के निकटवर्ती ग्राम आलसर बास में राजकीय विद्यालय में विभिन्न मांगों को लेकर विद्यालय के बच्चों व ग्रामीणों का धरना सोमवार को पांचवें दिन भी जारी रहा। आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्यालय के अध्यापकों को अंदर नहीं जाने दिया व मुख्य गेट पर ताला लगा

- राजलदेसर तहसील के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आलसर बास में स्कूल के मुख्य गेट पर ग्रामीणों व बच्चों ने ताला लगाया

दिया। उन्होंने कहा जब तक मांग पूरी नहीं होगी, तब तक उनका धरना विद्यालय के आगे अनवरत जारी रहेगा एवं ताला नहीं खोला जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के

डूंगा की नांगल की प्रशासक को पद से हटाया

पाटन, (निसं)। पंचायत समिति पाटन के अंतर्गत ग्राम पंचायत डूंगा की नांगल की प्रशासक पद्मा देवी को पद से हटा दिया है। यह कार्रवाई उनके कार्यकाल के दौरान सामने आई कई अनियमितताओं और जिला परिषद सीकर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है।

जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ग्राम पंचायत में कराए गए निर्माण कार्यों के लिए अनिवार्य सूचनात्मक बोर्ड नहीं लगाए गए, जबकि इन बोर्डों की लागत का भुगतान पहले ही कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, सरकारी कार्यालयों को भूमि पट्टे जारी करने में भी गंभीर नियम उल्लंघन सामने आया है। नियम संख्या 162 के अंतर्गत पट्टे दिए जाने चाहिए थे, लेकिन उन्हें नियम 158 के तहत जारी किया गया, जो प्रक्रियात्मक त्रुटि मानी गई है। उल्लेखनीय है कि बिमला देवी को 16 जनवरी 2025 को जिला कलेक्टर, सीकर के आदेशानुसार ग्राम पंचायत का प्रशासक नियुक्त किया



स्कूल के बच्चे व ग्रामीण विद्यालय के आगे टेंट लगाकर पांच दिन से मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं।

आदेश पर 23/03/2022 की अनुपालना में उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया था। वर्तमान में विद्यालय में प्रधानाचार्य-1, अध्यापक 2, शारीरिक शिक्षक 1 के पद स्वीकृत हैं, जिसमें से प्रधानाचार्य व अध्यापक एल (2) अंग्रेजी का पद रिक्त है। विद्यालय में 2020-21 से क्रमोन्नति के पश्चात आज

तक द्वितीय श्रेणी अध्यापक (हिन्दी), अंग्रेजी व सामाजिक विज्ञान), व्याख्याता (भूगोल, हिन्दी साहित्य और राजनीतिक विज्ञान) कनिष्ठ लिपिक तथा कम्प्यूटर शिक्षक आदि के पद स्वीकृत नहीं किए गए हैं, जिससे विद्यालय से नामांकन निरंतर गिर रहा है तथा कक्षा 9, 10, 11 व 12 माध्यमिक विद्यालय की स्वीकृति होते हुए भी बच्चों को निजी

विद्यालय या सरकारी विद्यालय के लिए गांव से पांच किलोमीटर से अधिक दूर जाना पड़ रहा है। इस मौके पर प्रशासक सरपंच भागीराम मेघवाल, रामचंद्र, हरिराम, अनूप सिंह, मोहनराम, जीवनराम, दिनेश, रामदयाल, मोहनलाल, शंकरनाथ, शंकर सुभार, रामचंद्र स्वामी सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

न्यायिक कर्मों अवकाश पर

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के समस्त न्यायिक कर्मचारी अध्यक्ष, राजस्थान न्यायिक संघ के आदेशानुसार अनिश्चितकालिन सामूहिक अवकाश पर रहे। अध्यक्ष दिल बहादुर सिंह ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालयों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पदस्थपित सामान्य संवर्ग व आशुलिपिक संवर्ग का केडर पुनर्गठन की अधिसूचना के प्रस्ताव उच्च न्यायालय द्वारा सरकार को भिजवाया जा चुका है लेकिन आज तक भी राज्य सरकार द्वारा दो साल बाद भी आदेश पारित नहीं किया गया है।

मंदिर परिसर में अपशिष्ट फेंका

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर के उपनगर पुर में देर रात मंदिर परिसर में अपशिष्ट फेंकने को लेकर विवाद हो गया। अज्ञात असामाजिक तत्व ने मंदिर में अपशिष्ट फेंक दिया, जिसके कारण क्षेत्र में माहौल गरमा गया। सूचना पर थाना प्रभारी पुष्पा कसौटियां मौके पर पहुंची और समझाझझ के प्रयास किए। बताया जा रहा है कि पुर के माली मोहल्ले ने हनुमानजी की प्रतिमा पर अपशिष्ट फेंके जाने के बाद आक्रोश फैल गया और आक्रोशित हिन्दू समाज के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया।

फैक्टरी में सुविधाओं के अभाव में श्रमिक की मौत

भीलवाड़ा, (निसं)। फैक्टरी में सुविधाओं के अभाव में श्रमिक की मौत हो गई। हादसे को लेकर आक्रोशित भीड़ का थाने के बाहर प्रदर्शन किया। परिजन मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

जानकारी के अनुसार शहर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र स्थित रीको एरिया में सर्वोदय फैक्टरी में कार्यरत एक श्रमिक दिलीप (48) पिता बिंदेश्वरी सिंह बिलिया खुद निवासी मूलतः बिहार का रहना वाला है, जो कि

बुजुर्ग की सड़क हादसे में मौत

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के मांडलगढ़ थाना क्षेत्र में खेत से घर लौट रहे बुजुर्ग की बाइक की टक्कर से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, पुरानी आबादी मांडलगढ़ निवासी कन्हैयालाल (70) पुत्र नारायण तेली जोकि खेत पर फसल में दवा छिड़कने गया था। वहां से लौटने के दौरान कन्हैयालाल को एक बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें पहले मांडलगढ़ व बाद में एमजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया।

- हादसे के बाद मांगों को लेकर आक्रोशित भीड़ का थाने के बाहर प्रदर्शन किया

फैक्टरी में काम रहा था। 16 जून को दिलीप की काम के दौरान ही अत्यधिक गर्मी और वातानुकूलन की व्यवस्था नहीं होने के चलते बोपी बंद गई और वह बेहोश होकर गिर गया। तत्काल साथी श्रमिकों ने उसे शहर के एक निजी

हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया, जहां ब्रेन हेमरेज होने का पता चला। 20 जुलाई को उपचार के दौरान दिलीप की मौत हो जाने के बाद आक्रोशित साथी श्रमिकों और परिजनों ने पहले फैक्टरी उसके बाद प्रताप नगर थाने के बाहर और अब एमजी मोचरी के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजन उचित मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

ERCP Eastern Rajasthan Canal Project Corporation Limited
Sinchali Bhawan, JLN Marg, Jaipur 302017 Tel: 0141-2799667 Email: eeerpc@gmail.com
No. :- 2342 Date :- 17/07/2025

NIB No. - ERCPCL/22/2025-26
Managing Director, ERCPCL invites bid for "obtaining wildlife clearance from Ministry of Environment, Forest & Climate change (MOEF&CC) for the construction of Brahmani barrage" from interested bidders upto to 28.07.2025 (06.00 PM). Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (<https://sppp.raajasthan.gov.in/sppp/> and <http://eproc.raajasthan.gov.in/>) of the state. The approximate value of the procurement is Rs 13.40 Lacs.
NIB Code : ERP2526A0026, UBN No: ERP2526SL0B00027
Raj.Samwad/C/25/6506 MD cum Chief Engineer

Rajasthan Urban Drinking Water Sewerage and Infrastructu Corporation Ltd. (RUDSICO)
(A Government of Rajasthan Undertaking)
Near Police Headquarter, Behind Nehru Place, Lal Kothi, Tonk Road, Jaipur
Ph.-0141-2742240, 2742538, 2742263 Fax No. 341-2740771
E-mail: ruidco@gmail.com CIN : U74999RJ2004SGC019961

संख्या: रुडसिको/स्टोर/2025-26/5451 दिनांक: 16.07.2025

बोली आमंत्रण सूचना / 2024-25
रुडसिको के जयपुर स्थित कार्यालय में कम्प्यूटर ऑपरेटर (मशीन रहित) के लिए निविदा राशि रु. 13.20 लाख की आमंत्रित की गई है। निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण एवं निविदा प्रपत्र <https://sppp.raajasthan.gov.in> व eproc.raajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
NIB No. - RDP2526A0015
UBN No. - RDP2526SL0B00031
राज.संवाद/सी/25/6487 महाप्रबन्धक (वित्त)

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DIVISION AMET (RAJASAMAND)
File No. 443 Date: 10.07.2025

Notice Inviting Bid
Bids for Nit No 10/2025-26, (Road works) 1 Nos. are invited from interested bidders upto Date 25.07.2025, 06.00 P.M. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (<http://eproc.raajasthan.gov.in>, <http://sppp.raj.nic.in/>) of the state. and departmental website. The is Rs. 172.66 Lacs. approximate value of the procurement
NIB No. PWD2526A1883
UBN No. 1. PWD2526WSOB06750
DIPR/C/9913/2025 EXECUTIVE ENGINEER PWD DIVISION AMET

कार्यालय उप वन संरक्षक, बीकानेर
ई-मेल-dfobkn@gmail.com & dcf.bknr.forest@rajasthan.gov.in
पब्लिकफार्क, बीकानेर फोन-0151-2544951
क्रमांक-एफ(भण्डार/उपसबी./2025-26/5451 दिनांक-14.07.2025

Notice Inviting Bid No. 09/2025-26
Bids for Fencing Work (with Material and Labour) along with NH-II Bikaner-Falodi Block Range Kolayat, Division Bikaner are invited from interested bidders on 05.00 P.M. Date 05.08.2025. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (<http://eproc.raajasthan.gov.in>, <http://sppp.raajasthan.gov.in> website. The approximate value of the procurement is Rs. 271.60 lakh.
NIB- FOR2526A0782, UBN No. - FOR2526GLOB00979
Deputy Conservator of Forest Bikaner
DIPR/C/9943/2025

OFFICE OF THE PRINCIPAL
RUHS COLLEGE OF MEDICAL SCIENCES, Sector - 11, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Jaipur - 302033, Ph.: 0141-2795624, 634 Email : principal@ruhscms@ruhsraj.org
No. :- RUHS CMS/Store/2025-26/4481 Date :- 19/07/2025

ई-निविदा सूचना
राज.स्वा.वि.वि. आर्युविज्ञान महाविद्यालय परिसर में स्थित शैक्षणिक व अशैक्षणिक भवन, शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारी आवास, छात्रावासों, खेल संकुल इत्यादि में साफ-सफाई कार्य (कार्य की प्रकृति के आधार पर सेवाओं के उपपन्न) हेतु ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। (कुल अनुमानित लागत राशि रु. 90.00 लाख) (UBN : CM2526SL0B00060)

1. Bid Download Start Date/Time	19/07/2025 at 05.00 PM
2. Bid Submission Start Date/Time	19/07/2025 at 05.00 PM
3. Bid Submission End Date/Time	28/07/2025 at 05.00 PM
4. Technical Bid Opening Date/Time	29/07/2025 at 11.00 PM

Details may be seen in the Bidding Document at <https://eproc.raajasthan.gov.in> or <https://sppp.raajasthan.gov.in> or on RUHS CMS Jaipur.
Principal, Raj.Samwad/C/25/6498 RUHS College of Medical Sciences, Jaipur

उदयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान
No. :- F-2(01)Acct/Contract/2025-26/102 - 104 Date : 17/07/2025

ई-निविदा सूचना संख्या : 27/2025-26
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर द्वारा निम्नलिखित कार्यों मय सिफेक्ट लाईमिटिडी अवधि के लिये जो कि निविदा प्रपत्र में अंकित है के लिये उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निष्पत्ति प्रपत्र में ई-टेंडरिंग के माध्यम से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है :-
निविदा कार्यों की कुल लागत

ऑनलाइन निविदा प्रपत्र डाउनलोड / अपलोड करने की अवधि	21.07.2025 को प्रातः 10.00 बजे से 11.08.2025 को सांयः 6.00 बजे तक
Online EMD, Tender Fee & Processing	21.07.2025 को प्रातः 10.00 बजे से 21.08.2025 को सांयः 6.00 बजे तक
Fee जमा कराने की तिथि	11.08.2025 को प्रातः 11.00 बजे

ऑनलाइन निविदा खोलने की तिथि 12.08.2025 को प्रातः 11.00 बजे
विस्तृत विवरण वेबसाईट urban.raajasthan.gov.in/uitdaipur, www.eproc.raajasthan.gov.in व www.sppp.raajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
UBN No. :- ITU2526WLOB00175 To ITU2526WLOB00181 अधिष्ठाता अधिकारिता - तृतीय उदयपुर विकास प्राधिकरण
हज.संवाद/सी/25/6496

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
प्रमाणित राशि सूर्यः कार्यालय संचालन कृषि उपज मण्डी (अनाज संचालन) ऊपर बसस के पास, मोरंगील, मल्लपुर (ई-मेल - scelbbs@jvnm.org फ़ोन नं.-05644-236080)

ई-निविदा सूचना
टी.एन.-50 एवं टी.एन.-51 के लिए योग्य निविदादाताओं ऑनलाइन-निविदा दो भागों (तकनीकी-वाणिज्यिक) में श्रम दर पर आमंत्रित किये जाते हैं। सहायक अभियन्ता (एच.टी.एन.), जयपुर डिस्ट्रिक्ट, डिप्टीन के अर्न्तगत करौली वृत्त में 33 / 11 केबी सब-स्टेशन महत्वा का निर्माण मय 33 केबी लाईन व 11 केबी लाईन खीचने एवं भूमिगत केबल का कार्य निगम एग्रेसरी दर पर करने के लिये। सहायक अभियन्ता (एच.टी.एन.), जयपुर डिस्ट्रिक्ट, करौली के अर्न्तगत करौली वृत्त में 33 / 11 केबी सब-स्टेशन खंड का निर्माण मय 33 केबी लाईन व 11 केबी लाईन खीचने एवं भूमिगत केबल का कार्य निगम एग्रेसरी दर पर करने के लिये। योग्य निविदादाता सम्पूर्ण निविदा सम्बन्धित दस्तावेज ई-प्रोचोरमेंट पोर्टल <http://www.eproc.raajasthan.gov.in> पर दिनांक 21.07.2025 से डाउनलोड कर सकते हैं। निविदाएं ऑनलाइन ई-पोर्टल पर दिनांक 12.08.2025 (सांयः 5:00 बजे) तक ही स्वीकार की जावेगी। निविदा सम्बन्धी जानकारी, कार्य का विवरण इत्यादि जयपुर विद्युत वितरण निगम की वेब साईट www.energy.raajasthan.gov.in/jvnm, <http://www.sppp.raajasthan.gov.in> & <http://www.eproc.raajasthan.gov.in> से प्राप्त की जा सकती है।
(TN-50, UBN :- VVN2526WSOB00308) (TN-51, UBN :- VVN2526WSOB00309)
हज.संवाद/सी/25/6491

कैलेंडर - 2027 (2025) संचालन कृषि उपज मण्डी (अनाज संचालन)
बिजली संचालन के लिए टेंडर प्री नॉन्ड 1800 1800 6507

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) बीकानेर
क्रमांक :- हज.संवाद 16629685 दिनांक - 17/07/2025

ई-बोली आमंत्रण सूचना 04/2025-26
कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) बीकानेर के संचालन के लिए उपायन टेका पद्धति द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुमति फर्मों / टेकेंडारों / सद्मायी व्यवहारियों से ई-नाम परियोजना हेतु ई-टेन्डरिंग के अन्तर्गत ऑनलाइन बोली आमंत्रण सम्बन्धित विवरण एवं शर्तों को वेबसाइट <http://www.eproc.raajasthan.gov.in> तथा www.eproc.raajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित टेका राशि (लाखों में)	बिड डाउनलोड करने की दिनांक	ऑनलाइन बिड अपलोड की दिनांक	ऑनलाइन बिड खोलने की दिनांक	ई-प्रोसेसिंग शुल्क	बोली प्रतिशत राशि रु.	निविदा शुल्क
1	ई-नाम परियोजना के समस्त कार्य जॉब बैसिस पर करवाने हेतु	20.00	28.07.2025 दोपहर 03:00 बजे तक	28.07.2025 सांयः 05:00 बजे तक	29.07.2025 दोपहरः 12:00 बजे से	1000 रु.	40,000	1180 रु.

बोली की शर्तें:- कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) बीकानेर के मुख्य मण्डी प्रोग्राम एवं मण्डी मण्डी प्राण्य पूराल रोड / छतराद में विभिन्न मनों हेतु रजिस्टर्ड फर्मों से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोसेसिंग के माध्यम से ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। बोली सम्बन्धित नियम / शर्तें किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में प्राप्त कर सकते हैं। बोली दस्तावेजों को राज्य उपायन पोर्टल <http://sppp.raajasthan.gov.in> UBN No. - DAM2526SL0B000514 पर भी देखा जा सकता है। तकनीकी बोली दस्तावेज के साथ बोली प्रपत्र शुल्क, प्रतिमूर्ति राशि का बी.बी. एवं ई-टेन्डरिंग के लिए ई-प्रोसेसिंग शुल्क का चालान बोली जमा करने की तिथिपरिचालन व समय तक कार्यालय में जमा करवाया जाना अनिवार्य है एवं देर से प्राप्त होने वाले दस्तावेजों / शुल्क को स्वीकार नहीं किया जावेगा। बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रतिमूर्ति राशि के अभाव में ई-निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

सचिव कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) बीकानेर
हज.संवाद/सी/25/6503

जयपुर को वैश्विक मान्यता मिलने पर उपमुख्यमंत्री ने जताई प्रसन्नता

जनसुनवाई में आमजन को तुरंत राहत

जयपुर। राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमार ने आज सिविल लाइंस स्थित अपने कार्यालय पर जनसुनवाई की, जिसमें प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएं रखीं। अतिक्रमण, पुलिस से संबंधित मामले और स्थानीय विकास से जुड़ी अनेक समस्याएं प्रमुख रहीं। उपमुख्यमंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों से संवाद कर कई मामलों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया।

उन्होंने कहा, "हम हर सोमवार और मंगलवार को जनसुनवाई कर रहे हैं ताकि आमजन की समस्याओं का तुरंत समाधान हो सके। डबल इंजन की सरकार पूरी जवाबदेही के साथ कार्य कर रही है, जिससे हर नागरिक को राहत मिले।"

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने जयपुर को 2025 में विश्व के शीर्ष 5 पर्यटन शहरों में स्थान मिलने पर हर्ष और संतोष व्यक्त किया, और इसे राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के लिए एक उपलब्धि बताया।



उपमुख्यमंत्री दिया कुमार ने सिविल लाइंस स्थित अपने कार्यालय पर जनसुनवाई की।

उन्होंने कहा, यह सफलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच, डबल इंजन सरकार की नीतियों और राजस्थान सरकार के सतत प्रयासों का परिणाम है। इसमें आमजन की सहभागिता भी उतनी ही महत्वपूर्ण

रही है।

उपमुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा पर्यटन अवसंरचना, सांस्कृतिक संरक्षण और आधुनिक सुविधाओं के विकास

■ **उपमुख्यमंत्री ने जयपुर को 2025 में विश्व के शीर्ष 5 पर्यटन शहरों में स्थान मिलने पर हर्ष और संतोष व्यक्त किया, और इसे राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के लिए एक उपलब्धि बताया**

के लिए चल रही योजनाओं से राजस्थान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर नई पहचान मिली है।

उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, यह मान्यता उन सभी लोगों की मेहनत का प्रतिफल है, जो राजस्थान की अतिथि परंपरा, सांस्कृतिक धरोहर और सौंदर्य को दुनिया के समक्ष प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमें पर्यटन स्थलों की स्वच्छता और सौंदर्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

शिविर में 240 मरीजों की नेत्र जांच

जयपुर। शेखावाटी अग्रवाल समाज संस्था के तत्वावधान में व संजय एंड ज्योति अग्रवाल फाउंडेशन के सौजन्य से 150 वॉनिशुलक लैंस प्रत्यारोपण शिविर विद्याधर नगर, सेक्टर-7 स्थित महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में आयोजित किया गया।240 मरीजों ने आंखों की जांच की गई,साथ ही 182 व्यक्तिओं को चश्मे वितरण किए गए। इस मौके पर सुरेश अग्रवाल, अरुण कांबरा, राजेंद्र मोदी , अनिल शर्मा , मुकेश बंसल, दिनेश टेकरीवाल, मुकेश मीणा व राजेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।

शासन सचिव पर्यटन ने दो दिवसीय तीज उत्सव के आयोजन की रूप रेखा पर चर्चा की

जयपुर। प्रमुख शासन सचिव पर्यटन, कला एवं संस्कृति व पुरातत्व राजेश यादव की अध्यक्षता तथा पर्यटन आयुक्त रूकमणि रियाड़ एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में तीज का उत्सव और अधिक भव्यता से मनाने और तीज माता की शोभायात्रा की व्यवस्थाओं की तैयारी के सम्बन्ध में सोमवार को जयपुर स्थित पर्यटन भवन में बैठक आयोजित की गई।

प्रमुख शासन सचिव पर्यटन राजेश यादव ने कहा कि इस बार 27 एवं 28 जुलाई को जयपुर में इस बार दो दिवसीय तीज उत्सव का आयोजन पहले से और अधिक भव्य और आकर्षक रूप में किया जाएगा।जिसमें राजस्थान की रंग-बिरंगी संस्कृति और परम्पराएं अद्भुत व आकर्षक रूप से प्रदर्शित होंगी। तीज उत्सव में जयपुर के आम नागरिक और देशी विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में सम्मिलित होंगे।

प्रमुख शासन सचिव पर्यटन ने दो दिवसीय तीज उत्सव के सम्पूर्ण आयोजन की रूप रेखा पर चर्चा करते हुए बताया कि तीज माता के शोभायात्रा में इस बार राजस्थान की लोक कलाओं में उत्कृष्ट रूप से परागत लगभग 200 लोक-

■ **प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव की अधिकारियों की उपस्थिति में तीज माता की शोभायात्रा की व्यवस्थाओं की तैयारी के सम्बन्ध में बैठक ली**

कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन करेंगे।

उन्होंने कहा मेले में महिलाओं के द्वारा तैयार सामान का क्राफ्ट मार्केट लगाया जाएगा। मेले में फूड स्टाल्स् के साथ महिलाओं के लिए झुले, मेहन्दी माण्डण की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि पॉण्डीक पार्क में लोक कलाकारों द्वारा कला प्रदर्शन किया जाएगा। इसी प्रकार छोटी चोपड़ पर तीज माता की पूजा की जाएगी एवं कलाकारों द्वारा रोचक प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी।प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने कहा कि राजस्थान जयपुर के इस अत्यंत लोकप्रिय तीज उत्सव के आयोजन का विभिन्न विभागों की वेबसाईट ,पर्यटन विभाग की वेबसाईट और सोशल मीडिया

प्लेटेफॉर्म्स पर वृहद प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन की कर्वेज प्रिन्ट मीडिया,इलेक्ट्रोनिक मीडिया के साथ ही सोशल मीडिया इम्प्लुएंसर्स के द्वारा करवाया जाना सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस बार तीज उत्सव का लाइव प्रसारण जयपुर शहर में स्थित स्क्रीन्स एवं सर्पूण राजस्थान में डीओआईटी के माध्यम से प्रसारण करवाया जाएगा। प्रमुख शासन सचिव ने शोभायात्रा में लवाजमा हेतु हाथी, ऊंट, घोड़े, बैल, बैण्ड, शहनाई-नगाड़ा, आदि की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने देशी-विदेशी पर्यटकों के बैठने हेतु हिन्दु होटल के टेरेस एवं निचें बरामदों में बैठने की व्यवस्था करने, वहां टेण्ट एवं वाटर प्रूफ शामियाना भी लगवाने के लिए पर्यटन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रमुख शासन सचिव पर्यटन राजेश यादव की ओर से बैठक में जयपुर नगर निगम (हैरिटेज) आयुक्त को तीज माता की सवारी मार्ग में आने वाले पेड़ों को छटाई, बिजली के तार एवं अन्य केबल तार जो की सवारी मार्ग में झूल रहे है उन्हें दुरस्त करवाने के निर्देश दिए गए।

सीवेज लाइन डालने से पूर्व करें सुरक्षा और समयबद्धता की प्लानिंग : आवासन मंत्री

जयपुर । अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और सीवेज के काम की प्लानिंग आमजन की ज़रूरतों, सुरक्षा और सुव्यवस्थित नगरीय विकास को ध्यान में रखकर की जाए। यह कहना है नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झावर सिंह खर्रां का।

सोमवार को डीएलबी मुख्यालय के सभागार में आयोजित हुई रूडसिको की 60 वीं बोर्ड बैठक की खर्रां अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में पिछली बोर्ड बैठक के कायो द्वारा केन्द्र एवं राज्य पोषित योजना की समीक्षा की गई तथा योजनाओं को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्वक कार्य करवाने के लिए निर्देश दिए गये।

मंत्री झाब्बर सिंह खर्रां ने कहा की सीवेज का काम शुरू करने से पहले ही उसकी निर्माण अवधि, पणवता और नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्ययोजना बनाई जाए ताकि किसी प्रकार की कोई जान माल की हानि ना हो। सीवेज के इनलेट और आउटलेट के निर्माण का विशेष ध्यान रखा जाए। सीवेज इंनेज परियोजना की डी.पी.आर. निर्माण के समय विशेष ध्यान रखें तथा क्रियान्वयन में किसी



झाब्बर सिंह खर्रां ने (बीच में) डीएलबी मुख्यालय पर रूडसिको की बोर्ड बैठक ली।

प्रकार की कमी न रहे। डी.पी.आर. की शुद्धता एवं उसके क्रियान्वयन के लिए संबंधित तकनीकी अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले संवेदकों को भी नोटिस जारी कर उनपर जुर्माना लगाया जाए ताकि विषय में ऐसी कोई समस्या ना आए। उन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर भी अधिकारियों को निर्देशित किया, खर्रां ने कहा की

■ **इस बैठक में पिछली बोर्ड बैठक के कायो द्वारा केन्द्र एवं राज्य पोषित योजना की समीक्षा की गई तथा गुणवत्तापूर्वक कार्य करवाने के लिए निर्देश दिये**

रूडसिको का स्वतंत्र निदेशक बनाया गया है।

इस बैठक में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉ देबाशीष पट्टि ,स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन, पीएचईडी विभाग के मिशन निदेशक रवीन्द्र गोस्वामी, आवासन आयुक्त डॉं रश्मि शर्मा, रूडसिको के कार्यकारी निदेशक हरि मोहन मीणा, डीएलबी निदेशक प्रतीक जुईकर, वित्तीय सलाहकार उम्मेद सिंह, मुख्य अभियंता अरुण व्यास, प्रदीप गंगा सहित अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित रहे।

‘वक्फ बोर्डों की संपत्ति का डेटा संग्रहण और प्रबंधन के लिए शुरू हुआ उम्मीद पोर्टल’

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक फैसले के बाद वक्फ बोर्डों की संपत्ति का डेटा संग्रहण और प्रबंधन के लिए 6 जून को उम्मीद केंद्रीय पोर्टल शुरू किया गया है। पोर्टल शुरू करने के साथ ही देशभर में राज्यों द्वारा वक्फ संपत्तियों का डेटा अपडेट करना भी शुरू कर दिया। यह पोर्टल वक्फ संपत्तियों के बेहतर, पारदर्शी, सक्षम और सुविधाजनक प्रबंधन में क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कदम साबित होगा। यह जानकारी राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के सवाल के जवाब में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरन रीजीजू ने सदन में दी।

राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि एकीकृत वक्फ प्रबंधन,दक्षता, सशक्तिकरण और विकास अधिनियम के तहत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने उम्मीद

■ **राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सहित राज्यों ने संपत्तियों का डेटा अपडेट करना किया शुरू : राज्यसभा सांसद मदन राठौड़**

केंद्रीय पोर्टल-2025 को शुरू किया। पोर्टल शुरू करने के साथ ही महज डेढ़ माह में राज्यों ने इस पर डेटा अपडेट करना शुरू कर दिया। इस पोर्टल पर आंध्र प्रदेश, दिल्ली,राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने डेटा अपडेट करना शुरू दिया। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल के उपयोग से वक्फ संपत्ति का गुपचुप तरीके से दुरुपयोग रहेगा॥ पहले जानकारी के अभाव में

‘यू.पी.आई. धोखाधड़ी से सावधान’

जयपुर । डिजिटल लेनदेन के बढ़ते दायरे के साथ-साथ साइबर अपराधी भी नए-नए तरीके अपना रहे हैं। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आमजन को एक नए प्रकार की यूपीआई आधारित साइबर धोखाधड़ी के प्रति आगाह किया है। इस धोखाधड़ी में अपराधी आपके खते में छोटी राशि भेजकर आपको फंसाते हैं और एक फर्जी लिंक के जरिए आपके मोबाइल का नियंत्रण हासिल कर लेते हैं। एसपी साइबर क्राइम शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि साइबर अपराधी एक संदिग्ध नंबर से आपके यूपीआई खते में बहुत कम राशि भेजते हैं, जैसे 1 रुपये या 10 रुपये। इसके तुरंत बाद आपको एक एसएमएस प्राप्त होता है, जिसमें बताया जाता है कि आपके यूपीआई खते में धनराशि जमा हो गई है। इस एसएमएस में यूपीआई बैलेंस चेक करने के लिए एक लिंक भी दिया होता है। धोखेबाज जानते हैं कि लोग अपने खते में पैसे आने पर उत्सुक हो जाते हैं।

न्यायिक कर्मचारियों का आंदोलन जारी

जयपुर । प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में कार्यरत कर्मचारियों का राज्य सरकार की ओर से कैंडर पुनर्गठन नहीं करने के विरोध में सोमवार को सामूहिक अवकाश जारी रहा। इसके चलते अदालतों में अधिकतर मामलों में तारीखें दी गईं। कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर होने के चलते नए मुकदमे भी टायर नहीं हो पा रहे हैं।

जब तक कैंडर पुनर्गठन का आदेश उनके हाथ में नहीं आएगा, तब तक उनका सामूहिक अवकाश जारी रहेगा। प्रांतीय अध्यक्ष सुरेन्द्र नारायण जोशी ने बताया कि हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से 25 जुलाई को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक का हवाला देते हुए सामूहिक अवकाश समाप्त करने को कहा गया था, लेकिन अब आवासन से काम नहीं चलेगा। दूसरी ओर दी बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष संदीप लुहाड़िया ने राज्य सरकार व हाईकोर्ट प्रशासन से न्यायिक कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने का आग्रह किया है। कर्मचारी संघ के प्रांतीय संरक्षक बद्रीलाल चौधरी ने बताया कि अध्यक्ष सुरेन्द्र नारायण जोशी व पूर्व जिलाध्यक्ष बुजेश शर्मा की भूख हड़ताल आठवें दिन भी जारी रही।

‘स्वच्छ सर्वेक्षण में जियो फेंसिंग और मोबाइल ऐप से होगा डेटा संग्रह’

जयपुर। स्वच्छ भारत मिशन फेज-2 के तहत शुरू किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में इस बार जियोफेंसिंग और मोबाइल ऐप से डेटा संग्रह किया जाएगा।

इस बार देशभर में 761 जिले और 21000 गांवों को शामिल किया गया है। गांवों के स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान सेवा स्तरीय प्रगति, गांवों में स्वच्छता का प्रत्यक्ष अवलोकन, संयंत्रों की कार्यशीलता का प्रत्यक्ष अवलोकन और नागरिक प्रतिक्रिया को शामिल किया गया है। सर्वेक्षण में कुल 1 हजार अंकों में से मूल्यांकन किया जाएगा।

मुड़ी भर लोगों के अलावा किसी को पता ही नहीं होता था कि कौन-कौन सी संपत्ति वक्फ की है। अब सभी को सब पता रहेगा। मंत्रालय पोर्टल शुरू करने के साथ-साथ इसका फॉलोअप भी करेगा। सेंट्रल वक्फ कार्डसिल, राज्यों के वक्फ बोर्ड और मंत्रालय की तकनीकी टीम ने इस पोर्टल को समावेशी बनाने में कड़ी मेहनत की है।

मदन राठौड़ ने बताया कि उम्मीद पोर्टल और डाटाबेस, रिफॉर्ड पर आने वाली प्रत्येक वक्फ संपत्ति के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या को स्वचालित रूप से उत्पन्न करेगा। इसका उपयोग भविष्य के सभी संदर्भों और संपत्तियों की ट्रैकिंग व निगरानी के लिए किया जाएगा। अधिसूचितनियमों केअनुसार, मुलवल्ली अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल का उपयोग करके पोर्टल और डाटाबेस पर इन्हें नामांकित करेंगे।

सामूहिक शिवलिंग पूजन में हो रहा आस्था से खिलवाड़

■ **नदी में करने थे पार्थिव शिवलिंग विसर्जित, कचरे के कट्टे में डाल दिए**

जैसी सुविधाएं भी जोड़ी गईं। इस आयोजन में हवामहल विधायक बालमुकुंदाचार्य भी उपस्थित रहे। लेकिन कार्यक्रम के बाद जो दृश्य सामने आया, उसने आस्था को शर्मसार कर दिया। सोमवार दोपहर तक पूजन सामग्री जहां-तहां बिखरी रही। पार्थिव शिवलिंग प्लास्टिक के कट्टे में कचरे के साथ पड़े मिले। कई पार्थिव शिवलिंग खुले में इधर-उधर फैले हुए थे। न तो विधिवत विसर्जन हुआ, न ही किसी प्रकार की धार्मिक मर्यादा का पालन किया गया। रोली, मोली, चावल, पुष्प सहित पूजन सामग्री पूरे फर्श पर बिखरी हुई थी।

इसके अलावा मिट्टी के पार्थिव

नव-निर्वाचित जिलाध्यक्ष का स्वागत

जयपुर। बिरला ऑडिटोरियम परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में ब्यावर जिले के नव – निर्वाचित राजस्थान नर्सज एसोसियेशन संगठन के जिलाध्यक्ष जेठाराम व प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में प्यारेलाल चौधरी प्रदेश अध्यक्ष ,रमेश सौनी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ,प्रदेश महिला मंत्री मालती शर्मा ,प्रदेश महामंत्री जेपी कसवा एवं प्रदेश प्रवक्ता सुनील शर्मा आदि ने जिलाध्यक्ष जेठाराम , पदाधिकारी ओमप्रकाश, प्रेम सहित अन्य सदस्यों का जोरदार स्वागत अभिनन्दन किया।

जेठाराम ने संकल्प लिया कि नर्सज संगठन हेतु जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उसे पूर्ण- निष्ठा से निभाएंगे और शीघ्र ही ब्यावर जिला कार्यकारिणी का गठन करेंगे।

शिवलिंग को गलने से बचाने के लिए उन पर चांदी की वर्क चढ़ाई गई।

जानकारों के अनुसार चांदी की वर्क गाय की खाल में कूट-कूट कर बनाई जाती है, जो धार्मिक दृष्टि से न केवल आपत्तिजनक है बल्कि शिव भक्ति की मूल भावना के खिलाफ है। पार्थिव शिवलिंग के अभिषेक के दौरान ज्यादातर आयोजक चांदी की वर्क के बजाय प्लास्टिक की पतली पत्ती का उपयोग करते हैं।

दक्षिणा के साथ प्रायोजक भी करते हैं सहयोग:- ऐसे आयोजनों में स्वयंसेवी संगठनों और कथित धार्मिक समूहों द्वारा भारी दक्षिणा लेकर धर्म को व्यावसायिक रूप दे दिया गया है। श्रद्धालु भक्ति में रमे रहते हैं, लेकिन पदों के पीछे कुछ लोगों द्वारा आस्था को बाजार बना दिया गया है। यजमानों से दक्षिणा के साथ-साथ ये लोग भामाशाहों से भी सहयोग के नाम पर मोटी राशि ले लेते हैं।

लाइब्रेरियन भर्ती में शामिल करने के आदेश, मांगा जवाब

■ **अदालत ने याचिकाकर्ता अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश सायर चौधरी की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए**

द्वितीय और तृतीय के लिए हर प्रश्न पत्र में न्यूनतम चालीस फीसदी अंक लाने के प्रावधान को हटा दिया गया था। याचिका में कहा गया कि प्रत्येक प्रश्न पत्र में चालीस फीसदी अंक लाने की अनिवार्यता नहीं होने के बावजूद याचिकाकर्ता को चयन से बाहर कर दिया गया, जबकि उसके कट ऑफ से काफी अधिक अंक हैं। ऐसे में उसे चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है।

अहमद ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने 14 फरवरी, 2024 को लाइब्रेरियन ग्रेड द्वितीय के पदों पर भर्ती निकाली थी। याचिकाकर्ता ने ओबीसी वर्ग में भाग लेकर 212 अंकों प्राप्त किए, जबकि इस वर्ग की कट ऑफ 179 आई थी। याचिकाकर्ता के एक प्रश्न पत्र में चालीस फीसदी अंक के बजाए 39.34 अंकों आने पर उसे चयन से वंचित कर दिया गया। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने 7 फरवरी, 2024 को परिपत्र जारी कर राजस्थान शिक्षा सेवा नियम में संशोधन किया था। संशोधन के तहत लाइब्रेरियन ग्रेड

याचिका में अधिकवक्ता तनवीर

अहमद ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने 14 फरवरी, 2024 को लाइब्रेरियन ग्रेड द्वितीय के पदों पर भर्ती निकाली थी। याचिकाकर्ता ने ओबीसी वर्ग में भाग लेकर 212 अंकों प्राप्त किए, जबकि इस वर्ग की कट ऑफ 179 आई थी। याचिकाकर्ता के एक प्रश्न पत्र में चालीस फीसदी अंक के बजाए 39.34 अंकों आने पर उसे चयन से वंचित कर दिया गया। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने 7 फरवरी, 2024 को परिपत्र जारी कर राजस्थान शिक्षा सेवा नियम में संशोधन किया था। संशोधन के तहत लाइब्रेरियन ग्रेड

‘जयपुर में बाढ़ नियंत्रण एवं आपदा प्रबंधन के लिए हर संभव प्रयास हो सुनिश्चित’

■ **जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को दिये सख्त निर्देश**

जलभराव, सड़क क्षित, बिजली गड़बड़ी या अन्य समस्या की सूचना जिला आपदा नियंत्रण कक्ष, जयपुर कंट्रोल रूम नंबर 0141-2204475,0141-2204476 के साथ-साथ टोल फ्री नंबर 1077 पर दी जा सकती है।

इसके अतिरिक्त जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शहर में 9, नगर निगम जयपुर ग्रेटर द्वारा 4, नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा 3 नियंत्रण कक्षों का निरंतर संचालन किया जा रहा है। वहीं, पुलिस विभाग, विद्युत विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, मौसम विभाग, जयपुर मेट्रो, रेलवे, एयरपोर्ट, एसडीआरएफ, नगर निगम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीमों तैनात की गई हैं, जो आपदा की स्थिति में तुरंत राहत पहुंचा सकें। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने स्वयं प्रभावित क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण कर रहे हैं एवं साथ ही अतिरिक्त जिला कलक्टर सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी भी फील्ड में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्रीराम कलपाती राजेन्द्रन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। राजभवन में आयोजित समारोह में मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

राज्यपाल ने के.आर. श्रीराम को मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई

वे राजस्थान हाईकोर्ट के 43 वें मुख्य न्यायाधीश हैं

जयपुर, 21 जुलाई। राजभवन में आयोजित गरिमापूर्ण समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे ने न्यायमूर्ति के आर श्रीराम को राजस्थान के चीफ जस्टिस (सोजे) पद की शपथ दिलाई। वे मद्रास हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर आए हैं। उन्होंने हाईकोर्ट के 43 वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने राज्यपाल की अनुमति लेकर राष्ट्रपति की ओर से जारी नियुक्ति वार्ंट पढ़ा।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद और हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश सहित,

■ **राजस्थान आने से पहले के.आर. श्रीराम मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे।**

न्यायिक अधिकारी व वकील मौजूद रहे। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल और दिया कुमारी सहित अन्य लोगों ने सीजे श्रीराम को बधाई दी। गौरतलब है कि हाल ही में हाईकोर्ट के सीजे एमएम श्रीवास्तव का मद्रास हाईकोर्ट और वहां सीजे रहे न्यायमूर्ति केआर श्रीराम का राजस्थान हाईकोर्ट में तबादला किया

गया था। राजस्थान हाईकोर्ट में सीजे श्रीराम का कार्यकाल 69 दिनों का रहेगा। 28 सितंबर, 1963 को मुंबई में जन्मे सीजे केआर श्रीराम ने मुंबई विश्वविद्यालय से एलएलबी करने के बाद लंदन से मैरीटाइम लॉ में एलएलएम किया। वहीं, वे जुलाई 1986 को महाराष्ट्र एवं गोवा बार कौंसिल में वकील के रूप में पंजीकृत हुए। बतौर वकील, उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उपभोक्ता आयोगों, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण और कंपनी कानून बोर्ड में वकालत की और काफी सफल रहे। उन्हें

21 जून, 2013 को बॉम्बे हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 2 मार्च 2016 को इस पद पर स्थायी कर दिया गया। जस्टिस श्रीराम को 21 सितंबर 2024 को मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किया गया। दूसरी ओर, व्यक्तिगत जीवन में सीजे श्रीराम सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल होते थे। उन्होंने कई सालों तक एक एनजीओ में उपाध्यक्ष के तौर पर कार्य किया। यह एनजीओ दिवंगत लोगों के लिए अंतिम संस्कार और श्राद्ध करने की व्यवस्था करता है। इसके अलावा उन्हें गोल्फ खेलना भी पसंद है।

एक बार फिर मोदी विदेश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) भारत और मालदीव के रिश्ते इस समय एतिहासिक रूप से बेहद खराब हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद मुहज्जु की सरकार ने भारतीय सेना को मालदीव से हटने को कहा है और मालदीव सरकार चीन के काफ़ी करीब चली गई है। हिंद महासागर में चीन का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और भारत की पारंपरिक पकड़ कमजोर हुई है। आलोचकों का कहना है कि इस यात्रा से केवल प्रतीकात्मक फायदे हो सकते हैं, जबकि असली नीतिगत बदलाव की उम्मीद कम है।

ब्रिटेन की यात्रा भी समय के लिहाज से ठीक नहीं मानी जा रही है। ब्रैजिज़ के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कमजोर है, महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता और वैश्विक स्तर पर सीमित भूमिका से इसका सामना है। भारत-ब्रिटेन के बीच लंबित मुक्त व्यापार समझौते पर कोई ठोस प्रगति नहीं दिख रही है। हाल ही में हुए आम चुनावों के बाद वहां नई सरकार आग बुझाई, तो उसके वार्ताओं में और देरी हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि फिलहाल ब्रिटेन भारत को कोई खास आर्थिक लाभ नहीं दे सकता ऐसे में यह दौरा केवल औपचारिकता तक सीमित रह सकता है। यह संभव सत्र दो बड़े सुरक्षा मामलों, ऑपरेशन सिंदूर और पहलगांव आतंकी हमल, के बाद पहला सत्र है।

इसके साथ ही अरुणाचल सीमा के पास चीन की सैन्य गतिविधियों को लेकर भी चिंता बढ़ी है। विपक्ष की मांग है कि प्रधानमंत्री इन विषयों पर संसद में स्वयं बयान दें। उनकी अनुपस्थिति को जवाबदेही से बचने के तौर पर देखा जा रहा है, जो संसद की संवैधानिक भूमिका को कमजोर करता है।

आलोचकों का कहना है कि यह फैसला भारत की विदेश नीति और घरेलू लोकतांत्रिक जिम्मेदारियों के बीच बढ़ते अंतर को दर्शाता है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सक्रियता जरूरी है, लेकिन संसद के अहम सत्रों में प्रधानमंत्री की मौजूदगी लोकतंत्र के लिए जरूरी है। संकट के समय संसद से दूरी, विपक्ष के उस आरोप को और बल देती है कि सरकार एकतरफा तरीके से चलाई जा रही है।

निष्कर्ष यह है कि विश्व के मौजूदा हालात को देखते हुए मोदी की इस विदेश यात्रा से कोई ठोस रणनीतिक लाभ मिलने की संभावना कम है। मालदीव पूरी तरह चीन के पाले में जा चुका है और ब्रिटेन अभी किसी महत्वपूर्ण समझौते की स्थिति में नहीं है। वहीं, भारतीय संसद में देश के सबसे गंभीर मुद्दों पर बहस हो रही है। इस स्थिति में प्रधानमंत्री का विदेश दौरा लोकतांत्रिक जिम्मेदारी से अधिक कुटीर्नातिक दिखावे को प्राथमिकता देने जैसा है।

न्यायाधीश वर्मा के “ इम्पीचमेंट ” ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) गए एक अन्य लंबित महाभियोग प्रस्ताव का उल्लेख करते हुए, धर्मनिरपेक्षता व लोकतांत्रिक मूल्य के प्रति संसद की प्रतिबद्धता पर प्रश्न उठाया।

इस बीच, न्यायमूर्ति वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इन-हाउस जांच को चुनौती दी है। उनका कहना है कि यह जांच संसद के अधिकारों का अतिक्रमण करती है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करती है। हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका सूचीबद्ध नहीं की है, क्योंकि संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर विचार चल रहा है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने के लिए कांग्रेस संसदों में हस्तक्षार किए हैं। मार्च में आग लगने की सूचना पर आपातकालीन सेवा कर्मचारियों ने जब दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज वर्मा के आवास पर पहुंचकर आग बुझाई, तो उन्हें उनके आउट-हाउस में बड़ी मात्रा में आधी जली हुई नकदी मिली। उस समय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उच्च न्यायालयों के तीन न्यायाधीशों की समिति बनाई, जिसने न्यायमूर्ति वर्मा को दोषी ठहराया।

जस्टिस संजीव खन्ना ने यह

■ **महाधिवक्ता का यह भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में गठित “जांच समिति” असंवैधानिक है, तथा इसके गठन से पुलिस के काम-काज में बेवजह दखल हो रही है।**

मामला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भेजा गया कि न्यायमूर्ति वर्मा ने इस्तीफा देने से मना कर दिया है, इसलिए उन्हें हटाया जाए। जस्टिस वर्मा को वापस इलाहाबाद उच्च न्यायालय भेज दिया गया, लेकिन न्यायिक कार्य से अलग रखा गया। न्यायमूर्ति वर्मा ने अपनी बेगुनाही का दावा करते हुए, सुप्रीम कोर्ट में समिति की रिपोर्ट को चुनौती दी है।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में वकील एन. एन. नडुमपारा ने न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका पर शीघ्र सुनवाई की मांग की। उन्होंने जब केवल “वर्मा” कहकर उनका उल्लेख किया, तो मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा, अगर आप यह चाहते हैं कि मैं इस याचिका को खारिज कर दूँ, तो इसे अभी खारिज किए देता हूँ। क्या न्यायमूर्ति वर्मा आपके मित्र हैं? वे अभी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। आप उन्हें ‘वर्मा’ कहकर

कैसे संबोधित कर सकते हैं? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इसका विरोध किया।

नडुमपारा की याचिका में दिल्ली पुलिस को निर्देश देने की ये मांग की गई है कि न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ नकदी बरामदगी को लेकर प्राथमिकी दर्ज की जाए और इसकी जांच की जाए। याचिका में कहा गया है कि इतनी बड़ी मात्रा में नकदी की बरामदगी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत दंडनीय अपराध है।

मार्च 14 को आग की सूचना पर दमकल कर्मी और पुलिस अधिकारी न्यायाधीश के आवास पर पहुंचे थे, जहां उन्हें प्लास्टिक के थैलों में रखी बड़ी मात्रा में अधजली नकदी मिली थी। नडुमपारा की याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने मौके पर वीडियो और फोटो तो लिए, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की, क्योंकि के. वीरस्वामी बनार भारत सरकार केस के निर्णय के

अनुसार, किसी न्यायाधीश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए मुख्य न्यायाधीश की अनुमति आवश्यक होती है।

वकील का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच समिति असंवैधानिक है और यह पुलिस की भूमिका में हस्तक्षेप करती है।

मानसून सत्र के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) के नेता होने के नाते उन्हें बोलने का अवसर न देने का, आरोप लगाया। सरकार और विपक्ष के बीच यह टकराव सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को और भी बढ़ सकता है, क्योंकि यह खबर सामने आई है कि प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को मालदीव और ब्रिटेन के दौरे पर जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि इस दौरे पर विदेश मंत्री या अन्य कोई मंत्री भेजा जा सकता था, तथा प्रधानमंत्री को संसद सत्र के दौरान विदेश नहीं जाना चाहिए।

विपक्ष ने अब तक कम से कम 20 मुद्दों पर बहस के लिए नोटिस दिए हैं, जिनमें बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण, मणिपुर की स्थिति और कई पुलों के ढहने जैसी घटनाएं शामिल हैं।

कोटा में संरक्षित प्रजाति का दुर्लभ “स्ट्रीकड कुकरी स्नेक” मिला

यह सांप जहरीला नहीं होता है, कोटा और हाड़ौती क्षेत्र में बहुत ही कम देखने को मिलता है

■ **इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ़ नेचर ने धारीदार कुकरी सांप को संरक्षित प्रजाति माना।**

कोटा, 21 जुलाई (निसं)। शहर के बोरखेड़ा इलाके में दुर्लभ प्रजाति का रेयर “स्ट्रीकड कुकरी स्नेक” (धारीदार कुकरी सांप) मिला है। यह सांप जहरीला नहीं होता है लेकिन कोटा और हाड़ौती क्षेत्र में बहुत ही कम देखने को मिलता है। नगर निगम के राकेश सेन ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से बारां रोड स्थित जय हिन्द नगर में एक घर से सांप के बच्चे के निकलने की सूचना मिल रही थी। जब वे मौके पर गए तो उन्हें एक कुकरी स्नेक नजर आया, जिसे उन्होंने रैस्क्यू किया। मकान मालिक ने बताया कि कुछ सांपों के बच्चे झाड़ू से बाहर निकाल दिए गए। यह “धारीदार कुकरी सांप,” जिसे अंग्रेजी में “स्ट्रीकड कुकरी स्नेक” कहते हैं, आमतौर पर 15 से 18 इंच लंबा होता है। इस सांप का ऊपरी हिस्सा भूरे रंग का और नीचे का हिस्सा सफेद रंग का होता है। यह सांप



कोटा शहर के बोरखेड़ा इलाके में दुर्लभ प्रजाति का “स्ट्रीकड कुकरी स्नेक” (धारीदार कुकरी सांप) मिला है। यह सांप जहरीला नहीं होता है और कोटा और हाड़ौती क्षेत्र में बहुत ही कम देखने को मिलता है।

एक बार में 5 से 8 अंडे देता है। कोटा के सर्प विशेषज्ञ विष्णु श्रृंगी ने बताया कि यह सांप कोटा में बहुत कम पाया जाता है। कोटा में इस सांप को लगभग 3 से 4 बार ही रैस्क्यू किया गया है। पर्वतीय इलाकों में पाए जाने वाले ये सांप शर्मीले होते हैं, लेकिन छेड़े जाने पर काट लेते हैं। श्रृंगी ने बताया कि

स्ट्रीकड कुकरी स्नेक को “ऑलिगोडन टेनिओलेटास” जीन्स के सांपों के रूप में भी जाना जाता है। अलग-अलग रंग होने के कारण इन्हें कुकरी स्नेक कहा जाता है। भारत, नेपाल और पाकिस्तान में मिलने वाले ये सांप, भारत में मुख्य तौर पर केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु में पाए जाते हैं। ये सांप जहरीले नहीं

होते हैं लेकिन इसकी विशेषता यह है कि कुकरी चाकू के तरह इनके दांत मुड़े हुए होते हैं, जिनका उपयोग ये अंडों को खाने के लिए करते हैं। इन सांपों का मुख्य भोजन छिपकली, कीड़े और सरीसृप के अंडे होते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ़ नेचर ने इसे संरक्षित प्रजाति माना है।

अमरिकन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) समाचार पत्र की रिपोर्ट में कहा गया कि इमैं में लगभग 50 मामले ट्रम्प प्रशासन द्वारा कुछ विदेशी छात्रों को उनके इमिग्रेशन रिकॉर्ड और आपराधिक रिकॉर्ड में अनियमितताओं के कारण निष्कासित करने के प्रयासों का हिस्सा थे। वाइट हाउस ऐसे 90 प्रतिशत से अधिक मामलों में हार गया।

ट्रंप की पहल के खिलाफ फैसला सुनाने वाले जज मुख्य रूप से पूर्व राष्ट्रपतियों, बराक ओबामा और जो बाइडेन द्वारा नियुक्त जज हैं। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने ट्रंप के रुख के खिलाफ 125 से ज्यादा बार फैसला सुनाया है।

(प्रथम पृष्ठ का शेष) जानकारी मिली है कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिये थे। लेकिन सरकार चाहती थी कि विपक्ष लोकसभा में भी हस्ताक्षर करे। लेकिन विपक्ष ने यह कहते हुये इनकार कर दिया कि राज्यसभा में तो पहले ही ज़रूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

सूत्रों के अनुसार, उपराष्ट्रपति धनखड ने सरकार को सलाह दी थी

कि यह प्रस्ताव दोनों सदनों में एक साथ लाया जाए, लेकिन इसने एक समस्या का रूप ले लिया। अगर ऐसा होता, तो दोनों सदनों के अध्यक्ष इसे खारिज नहीं कर सकते थे और इसे स्वीकार करना होता। सरकार की ओर से धनखड को लेकर कई तरह की बातें फैलाई जा रही थीं, जैसे कि वे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहुत तारीफ कर रहे थे और बार-बार यूपी जा रहे थे। इसके अलावा, सांसदों को बांटे गए लैपटॉप में घोटाले की बात भी

उछाली गई। यह भी कहा गया कि राज्यसभा में कुछ लोगों को पैसे लेकर नौकरी दी गई। ऐसी ही कई अन्य बातें भी कही जा रही थीं। कारण जो भी रहे हों, यह साफ है कि आज शाम 4:30 बजे तक उनके इस्तीफे का कोई संकेत नहीं था। लेकिन उसके बाद अचानक इस्तीफा दे दिया गया। यह भी साफ है कि उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया था, जिससे सरकार के भीतर एक अभूतपूर्व स्थिति बन गई है।

हाई कोर्ट ने मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में सभी 12 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया

महाराष्ट्र सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी

मुंबई, 21 जुलाई। बंबई उच्च न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में 2006 मुंबई लोकल ट्रेन सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले के सभी 12 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

महाराष्ट्र सरकार ने 2006 के मुंबई ट्रेन बम धमाकों में आरोपी व्यक्तियों को बरी करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार हाई कोर्ट के आदेश की समीक्षा करेगी और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का निर्णय लेगी।

न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की एक विशेष पीठ ने अपने फैसले में कहा कि अदालत के सामने जो सुबूत रखे गए, वे आरोपियों का अपराध साबित करने

में अपर्याप्त हैं। अदालत ने कहा कि ‘यह विश्वास करना कठिन है कि आरोपियों ने अपराध किया था।’ उच्च न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष के दावे में कई बुनियादी खामियां हैं। पीठ ने अविश्वसनीय गवाहों, संदिग्ध पहचान परेड और यातना देकर इकटालिया बयान लेने के लिए भी जांच दल की आलोचना की। अदालत ने पाया कि इस्तेमाल हुए बम के ब्योरे सहित दूसरे बुनियादी तथ्यों को भी स्थापित करने में एटीएस विफल रही है। गवाहों के बयानों और कथित बरामदगी का ‘कोई साक्ष्य मूल्य नहीं’ माना गया।

न्यायालय ने कहा कि जाँच एजेंसियाँ आरोपियों के खिलाफ आरोपों की पुष्टि के लिए कोई ठोस सबूत पेश करने में विफल रहीं। उच्च

■ **हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष के दावे में बुनियादी खामियां हैं। सबूत भी पर्याप्त नहीं हैं। यह विश्वास करना कठिन है कि आरोपियों ने अपराध किया है।**

■ **ज्ञातव्य है कि 11 जुलाई को मुम्बई लोकल ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 189 लोग मारे गए थे, 700 से ज्यादा घायल हुए थे और 19 साल बाद केस पर फैसला आया है।**

न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए, अब सभी आरोपियों को इस आधार पर बरी कर दिया है कि हमलों में उनकी संलिप्तता साबित करने के लिए जांच एजेंसियों के पास पर्याप्त सबूत नहीं है।

अदालत ने इस मामले में पाँच व्यक्तियों को मिली मृत्युदंड की सजा और शेष सात को मिली आजीवन

क़ावासा की सजा को भी रद्द कर दिया। यह फैसला हादसे के 19 साल बाद आया। यह भयावह घटना 11 जुलाई, 2006 को तब हुई थी, जब शाम के व्यस्त समय में मुंबई के उपनगरीय रेलवे नेटवर्क में पश्चिम रेलवे की ट्रेनों के प्रथम श्रेणी के डिब्बों को निशाना बनाकर बम विस्फोटों का अंजाम दिया

गया। उन सिलसिलेवार विस्फोटों में सांताक्रूज, बांद्रा-खार रोड, जोगेश्वरी-माहिम जंक्शन, मीरा रोड-भायंदर, माटुंगा-माहिम जंक्शन और बोरीवली सहित कई स्थानों को निशाना बनाया। हाताहतों की संख्या बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रेशर कुकर बमों ने 189 लोगों की जान ले ली और 700 से ज्यादा घायल हो गए।

यह मामला महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) को जांच के लिए सौंपा गया था। शुरूआती जाँच में आतंकवादी संगठनों, लश्कर-ए-तैयबा और सिमी की संलिप्तता के संकेत मिले थे, जिसके बाद 12 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए। एटीएस की जांच के आधार पर विशेष मकोका अदालत ने सितंबर 2015 में सभी बारह अभियुक्तों को दोषी ठहराया था।

इनमें से पाँच को निचली अदालत ने मौत की सज़ा और सात को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। आरोपियों ने बाद में इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहाँ न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की विशेष पीठ ने लगातार सुनवाई की।

एटीएस ने अपनी जाँच में हमलों को प्रतिबंधित स्ट्रेंड्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) और पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी समूहों से जोड़ते हुए आरोप लगाया कि मुख्य साजिशकर्ता मोहम्मद फैसल शेख (लश्कर-ए-तैयबा का मुंबई प्रमुख) को हवाला से पैसा मिला था। न्यायिक जाँच में इस दावे की पुष्टि नहीं हो सकी। अदालत का यह फैसला महाराष्ट्र एटीएस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।

बांग्लादेश वायु सेना का एफ-7 विमान कॉलेज में क्रैश हुआ

बांलादेश वायु सेना का एफ-7 विमान कॉलेज में क्रैश हुआ

ढाका, 21 जुलाई। बांग्लादेशी वायुसेना का एक एफ-7 प्रशिक्षण विमान सोमवार को कॉलेज परिसर में हादसे का शिकार हो गया। विमान कॉलेज की बिल्डिंग से जा टकराया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हादसे में 20 लोगों को मौत हो गई, जबकि 170 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में 16 छात्र, 2 शिक्षक और 1 पायलट शामिल हैं। एक अन्य मृतक से जुड़ी जानकारीयां अभी नहीं मिली हैं। हादसे के वक्त माइलस्टोन कॉलेज में बच्चे मौजूद थे। प्लेन क्रैश होने के बाद स्कूल-कॉलेज में अफरातफरी मच गई। मौके पर अग्निशमन और बचाव दलों ने पहुंचकर बचाव कार्य शुरू कर दिया है।

हजरत शाहजाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी घटना की पुष्टि की है। अधिकारियों ने बताया कि प्रशिक्षण विमान ने दोपहर लगभग 1:06 बजे उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के ठीक बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के बाद विमान में आग लग गयी।

‘ईडी सारी हदें पार कर रहा है’

अधिवक्ताओं को समन भेजने पर सुप्रीम कोर्ट में ईडी पर सख्त टिप्पणी की

नयी दिल्ली, 21 जुलाई। उच्चतम न्यायालय ने एक मामले में कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं को तलब करने में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जांच के तरीके पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सोमवार को कहा कि वह “सारी हदें पार कर रहा है।” मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने ईडी द्वारा हाल ही में वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल को तलब किए जाने पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई करते हुए कई सख्त टिप्पणियां कीं और इस मामले (ईडी जांच) में दिशा-निर्देश बनाने का सुझाव दिया।

पीठ ने इस बात पर भी खेद व्यक्त किया कि इतने सारे मामलों में जहाँ उच्च न्यायालय ने सुविचारित आदेश पारित किए थे, ईडी केवल अपील दायर करने के लिए ही अपील दायर कर रहा है। पीठ ने कहा, एक अधिवक्ता और मुवक्किलों के बीच संवाद विशेषाधिकार प्राप्त संवाद होता है। उनके खिलाफ नोटिस कैसे जारी किए

■ **सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस विनोद चन्द्रन की बैंच ने कहा कि अधिवक्ता का अपने मुवक्किल से विशेषाधिकार प्राप्त संवाद होता है उस पर नोटिस कैसे जारी हो सकता है।**

जा सकते हैं? वे सारी हदें पार कर रहे हैं...। सुनवाई के दौरान एक अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधिवक्ता दातार जैसे कानूनी पेशेवरों को हाल ही में ईडी द्वारा जारी किए गए नोटिस का वकालत के पेशे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बैंच ने कहा कि दिशानिर्देश बनाए जाने चाहिए। अधिवक्ता ने तर्क पर क्रिया देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि झूठे आख्यान गढ़ कर

संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश की गई है। अर्तौनी जनरल आर. वेंकटरमण और मेहता ने कहा कि अधिवक्ताओं को समन जारी करने के संबंध में मामला उच्चतम स्तर पर उठाया गया था और जाँच एजेंसी से कहा गया था कि वह अधिवक्ताओं को कानूनी सलाह देने के लिए नोटिस जारी न करें।

रेल्वे पेपरलीक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) ईस्पएसए कर्जन-बोरियावी, पश्चिम रेलवे, आणंद और रेलवे विभाग के अन्य लोगों द्वारा प्रश्नपत्र लोक करने के संबंध में मामला दर्ज किया था। दोषियों ने प्रोवेशनरी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के पद के लिए लिखित परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों से 50 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक की राशि वसूली थी। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें सजा सुनाई।